# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री अखिलेश कुमार पिपल, आर. ए. एस.

**अपील संख्याः–** 69/21 (223 आर. टी. एक्ट)

आर0सी0एम0एस0 संख्या :– 2021/144

उनवान

1. नगर सुधार न्यास भरतपुर जरिय सहायक अभियन्ता, नगर सुधार न्यास भरतपुर।

.....अपीलांट।

बनाम

1. इमरती देवी वेवा राम सिंह
2. लखन सिंह पुत्र राम सिंह
3. भीम सिंह पुत्र राम सिंह
4. राजकुमार पुत्र राम सिंह

} जाति गोला ठाकुर निवासी ग्राम गोलपुरा तहसील व जिला भरतपुर।

5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भरतपुर।

..... रैस्पो0

अपील अन्तर्गत धारा 223 राज0 काश्त0 अधि0 1955 विरूद्ध आदेश न्याया0 उपखण्ड अधिकारी, भरतपुर दिनांक 23.02.2021 उनवानी इमरती देवी बनाम सरकार मु0न0 76/11

अभिभाषकगण :–

1. वकील अपीलांट श्री राजेश मित्तल उपस्थित।
2. वकील रैस्पो0 श्री गोविन्द सिंह डागुर उपस्थित।

निर्णय दिनांक :– 27.10.2023

1. यह अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भरतपुर के आदेश दिनांक 23.02.2021 के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी/रैस्पो0 ने एक दावा अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध प्रतिवादी/अपीलाण्ट इस आशय का पेश किया कि वाद पत्र में अंकित विवादित आराजी गत खसरा नम्बर 573 मिन रकवा 4 बीघा 11 विस्वा में से 02 बीघा के वादीगण/रैस्पो0 वहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं। उक्त आराजी का आवंटन वादीगण रैस्पो0 के बाबा उमराव को श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय, भरतपुर द्वारा दिनांक 01.07.1976 को किया गया था। जिसका नामान्तकरण संख्या 336

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

दिनांक 31.07.1976 को वादीगण रैस्पो0 के बाबा उमराव के नाम स्वीकार हुआ। वादीगण रैस्पो0 के बाबा की मृत्यु उपरान्त वादीगण रैस्पो0 विवादित आराजी पर बतौर खातेदार काश्तकार काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं। बन्दोबस्त विभाग ने उक्त गत खसरा नम्बर से हाल खसरा नम्बर 688, 689, 690, 950 बनाते हुये मौका व रिकार्ड के विपरीत हाल राजस्व अभिलेख में वादीगण रैस्पो0 का नाम दर्ज ना करते हुये, प्रतिवादी अपीलाण्ट का नाम दर्ज कर दिया। तत्पश्चात् वादीगण रैस्पो0 के पिता द्वारा एक दावा प्रतिवादी अपीलाण्ट के खिलाफ न्यायालय सहायक कलक्टर भरतपुर में किया गया। जिसमें वादीगण रैस्पो0 को हुये आवंटन को सही माना एवं वादीगण रैस्पो0 को विवादित आराजी खसरा नम्बर 688, 690 पर खातेदार घोषित कर दिया। परन्तु उक्त निर्णय का अमल वादीगण रैस्पो0 के पिता के बीमार हो जाने के कारण राजस्व अभिलेख में नहीं हो सका एवं वादीगण रैस्पो0 उस समय नाबालिग थे और उन्हें कानून की जानकारी नहीं थी। वादीगण रैस्पो0 को हल्का पटवारी द्वारा धमकी दिये जाने पर उक्त तथ्य की जानकारी हुयी कि जिस विवादित आराजी पर हम काश्त कर रहे हैं वह सरकारी खाते में दर्ज है। अतः दावा प्रस्तुत कर विवादित आराजी का ख़ातेदार काश्तकार घोषित किये जाने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर, बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश से डिक्री कर दिया। जिससे व्यथित होकर प्रतिवादी/अपीलाण्ट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोंडेंट एंव अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमो के तथ्यों को दौहराते हुए, तर्क दिये कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश खिलाफ कानून व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के विपरीत होने के कारण, काबिल खारिजी है। यह है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाकर एक पक्षीय अपीलाधीन आदेश पारित किया है। इस प्रकार अपीलाण्ट को अधीनस्थ न्यायालय में कोई सुनवाई का मौका नहीं मिला एवं ना ही अपीलाण्ट को किसी भी प्रकार का सम्मन ही प्राप्त हुआ है एवं बिना जवाब का मौका दिये जवाब बन्द कर दिया। रैस्पो0 ने समस्त कार्यवाही फर्जकारी में करायी है। रैस्पो0 का विवादित आराजी पर कोई कब्जा काश्त नहीं है। उनके नाम राजस्व अभिलेख में गलत रूप से दर्ज हैं। विवादित भूमि गैर मुमकिन रास्ते की भूमि है। जिसका विधि अनुसार आवंटन नहीं हो सकता है एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अनुसार प्रतिबन्धित है। विवादित आराजी बन्दोबस्त पूर्व गैर मुमकिन रास्ता में दर्ज रही है। इस प्रकार रैस्पो0 को उक्त भूमि पर कोई खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर कोई ध्यान दिये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जो काबिले खारिज है। अंत में अपील अपीलाण्ट स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

4. विद्वान अभिभाषक रैस्पो0 ने अपनी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश विधि अनुरूप है। यह है कि अपीलाण्ट की सारी आपत्तियॉ निराधार हैं। अपीलाण्ट का यह कथन कि अपीलाधीन निर्णय एक पक्षीय पारित हुआ है, सत्याभाषी नहीं है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

क्योंकि रैस्पो0 ने उन्हें प्रार्थना पत्र आदेश 01 नियम 10 के तहत पक्षकार मुकदमा बनाया है। तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट को लगातार कई अवसर जवाब दावा प्रस्तुत करने के दिये गये। परन्तु उनके द्वारा कोई जवाब दावा अथवा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी। अतः सुनवाई का मौका नहीं दिया का कथन, बिल्कुल गलत है। प्रार्थना पत्र 01 नियम 10 सीपीसी के तहत पक्षकार बने, अतः नोटिस देने की आवश्यकता नहीं रहती है। विवादित भूमि पर रैस्पो0 का उनके पूर्वजो के समय से ही कब्जा काश्त है एवं विवादित आराजी उनके पूर्वजो को विधिवत आवंटित हुयी है। विवादित भूमि को गैर मुमकिन रास्ता से किस्म परिवर्तन कर सैरावी की गयी है एवं आवंटन के पश्चात् किस्म स्वतः ही परिवर्तित हो जाती है। रैस्पो0 के पूर्वजो ने अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर के न्यायालय में दावा किया एवं न्यायालय द्वारा उन्हें खातेदारी दी गयी है। परन्तु रैस्पो0 के पिता की तबीयत खराब होने के कारण उक्त डिक्री का अमल नहीं हो पाया, बाद में उनकी मृत्यु हो गयी एवं उस समय रैस्पो0 नाबालिग थे। तत्पश्चात् जानकारी होने के कारण दूसरा दावा प्रस्तुत किया। खसरा गिरदावरी में जिंस दर्ज हो रही है। जिससे कब्जा काश्त प्रमाणित है। सन् 1976 में पट्टा हुआ, कोई अपील नहीं की गयी। नामान्तकरण हुआ, कोई अपील नहीं की गयी। तत्पश्चात बन्दोबस्त विभाग ने गलत इन्द्राज कर दिये एवं किस्म परिवर्तन कर दी। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने सम्पूर्ण तथ्यो की जॉच उपरान्त अपीलाधीन आदेश पारित किया है। जिसमें हस्तक्षेप योग्य कोई गुंजाईश शेष नहीं रहती है। अंत में अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित आराजी वर्तमान एवं साविक राजस्व रिकार्ड में गैर मुमकिन रास्ता की भूमि है। जिसका विधि अनुसार आवंटन नहीं हो सकता है एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अनुसार प्रतिबन्धित है। इस प्रकार रैस्पो0 को उक्त भूमि पर कोई खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। प्रतिवादी/तरतीवी रैस्पो0 द्वारा भी अपने जवाब में स्पष्ट अंकित किया है कि विवादित आराजी गैर मुमकिन रास्ता की भूमि है एवं रैस्पो0 का विवादित आराजी पर कोई कब्जा काश्त नहीं है। न्यायालय सहायक कलक्टर भरतपुर के निर्णय व डिक्री दिनांक 27.08.1994 का राजस्व अभिलेख में इन्द्राज राज्यहित प्रभावित होने के कारण नहीं किया गया था। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर कोई ध्यान दिये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया है। विवादित आराजी पर कब्जे बाबत् भी रैस्पो0 ने ना तो अधीनस्थ न्यायालय में एवं ना ही हस्तगत अपील में कोई खसरा गिरदावरी प्रस्तुत नहीं की है। जिससे उनका विवादित आराजी पर कब्जा काश्त साबित हो। यदि तर्क के लिये विवादित आराजी पर रैस्पो0 का कब्जा काश्त माना भी जावें, तो भी विवादित भूमि के राजस्व रिकार्ड में गैर मुमकिन दर्ज होने से, कब्जा मात्र अतिक्रमी की हैसियत से माना जावेगा। उपरोक्त विवेचनानुसार हम अपील अपीलाण्ट स्वीकार योग्य समझते हैं।

6. अतः आदेश है कि अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भरतपुर के निर्णय दिनांक 23.02.2021 अपास्त किये जाते हैं। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार की जांकर नम्बर से कम की जावें, बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय को निर्णय की प्रति वास्ते पालनार्थ प्रेषित की जावें।

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

7. निर्णय आज दिनांक 27.10.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

27/10/2023

(अखिलेश कुमार पिपल)
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर